

बईजलास :- अर्पिता सोनी

आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 18/17

उनवान

गीला पिता काना मीणा निवासी महुआ तहसील माण्डलगाड

प्रार्थीया

बनाम

1-मांगु पिता नगजीराम माली निवासी महुआ तहसील माण्डलगाड

2-लादु लाल पिता मांगु कुम्हार निवासी महुआ तहसील माण्डलगाड

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए०

दिनांक 05/05/17

-:आदेश:-

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री सजंय कुमार के जरिये प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/सयुक्त खाते की भुमि ग्राम महुआ प०ह० महुआ की सरहद में खाता संख्यां 137 में आ०न० 1163,1165,1167 किता 3 रकबा 10 बिघा 08 बिस्वा खातेदारी में स्थित है । विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र सलग्न है प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० किया गया । प्रस्तुत पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली में सलग्न जमाबन्दी सम्बन्त..... के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है पडौसियो के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है ।

अतःप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए०स्वीकार किया ग्राम महुआ प०ह० महुआ की सरहद में खाता संख्यां 137 में आ०न० 1163,1165,1167 किता 3 रकबा 10 बिघा 08 बिस्वा खातेदारी भुमि की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है पत्थरगढी हेतु भु-अभिलेख निरीक्षक..... को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कमिश्नर फीस 500/रूपये तय किये जाते है जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मोकें पर अदा करेगा। पत्थरगढी शुल्क 100/रूपये जरिये चालान राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया ।

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी,माण्डलगाड



निजीला